न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.................................से...

जिला–खगड़िया...............................,सा0...,सन्.................................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः–802 / 2018 राज्य बनाम परबत्ता थाना कांड संख्याः–237 / 2017

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख–सहित 3.
03.10.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत परबत्ता थाना में दर्ज कांड संख्याः–237 / 2017 दिनांक 13.07.2018 में जप्त देशी / मशालेदार शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4729 / हि0शा0, दिनांक 29.09.2018 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, परबत्ता के प्रतिवेदन तथा जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त 200 एम0एल0 का 08 (आठ) पाउच देशी तथा 200 एम0एल0 का 12 पाउच मशालेदार शराब में से 200 एम0एल0 का 05 (पाँच) पाउच देशी मशालेदार शराब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार पटना को जाँच हेतु भेजा गया है तथा 200 एम0एल0 का 13 तथा 200 एम0एल0 का 05 पाउच मशालेदार शराब, शेष कुल–2.00 लीटर देशी मशालेदार शराब परबत्ता थाने के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई देशी शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव / प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2.00 लीटर देशी मशालेदार शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए परबत्ता थाना में दर्ज कांड संख्याः–237 / 2017 के आधार पर जप्त की गई शेष कुल–2.00 लीटर देशी मशालेदार शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, परबत्ता / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। 3.10.18 समाहर्त्ता, खगड़िया। 3.10.18 समाहर्त्ता, खगड़िया।	

क्रम सं0 और तारीख 1.	02.	गइ कारवाइ क बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0बी0 नं0 ....678..... / विधि, दिनांक ....3-10-18.... प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थानाध्यक्ष, परबत्ता / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 3/10 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 3/10/18	